न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO), मावली जिला उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

राजस्व वाद संख्या : **228/13 (वाद)**

GCMS No. : 2013/00397

1. भेरूलाल पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. रूपा पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. काली पुत्री प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. अन्दर पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु 16 वर्ष, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. शिवा पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु 10 वर्ष, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. गोविन्द पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु 8 वर्ष, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....वादीगण

बनाम्

1. प्यारा पिता गोदा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली. जिला उदयपुर (राज०)
2. शांतिलाल पिता भगा जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी पालवासकला तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. लहरीलाल पिता भगा जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. रूपलाल पिता ठाकरू जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. दुदा पिता गोदा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. नंगा पिता गोदा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. पटवारी, पटवार हल्का विरधोलियां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. उपपंजीयक अधिकारी, मावली, तह०मावली, जिला उदयपुर (राज०)

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित–1. श्री सोहनसिंह राणावत, अधिवक्ता वादीगण।

2. श्री सम्पत सामोता, अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 से 4

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निर्णय

दिनांक : 11.06.2025

1. वादीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 में पेश कर निवेदन किया कि मौजा पालवासकला, पटवार हल्का वीरधोलियां, तहसील मावली, जिला उदयपुर के आराजी नम्बर 117/3 रकबा 5 बीघा भूमि वर्तमान राजस्व रेकर्ड में प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम पर अंकित है। हम वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1, 5, 6 का सजरा खानदान निम्नानुसार है :–

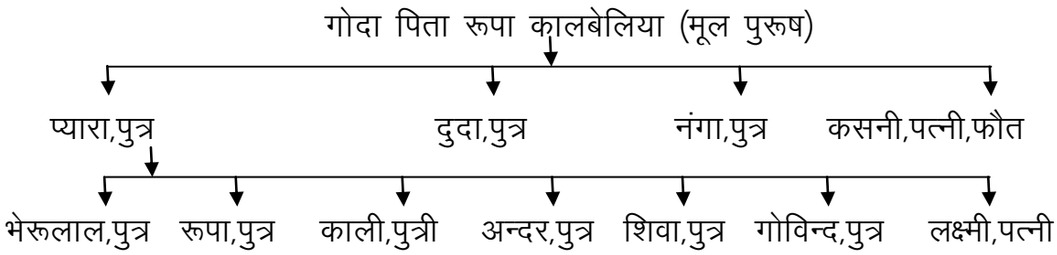

उक्त सजरे अनुसार गोदा जी हमारे मूल पुरूष थे जिनके तीन पुत्र प्यारा, दुदा, नंगा हुवे। तीनो पुत्र प्यारा, दुदा, नंगा जीवित है। प्यारा जी (प्रतिवादी सं. 1) के पांच पुत्र भेरूलाल (वादी सं.1), रूपा (वादी सं.2), अन्दर (वादी सं.4) शिवा (वादी सं. 5). गोविन्द (वादी सं. 6) एवं एक पुत्री काली (वादी सं. 3) है एवं लक्ष्मी प्याराजी की विवाहिता पत्नी है। उक्त वर्णित आराजीयात जो हम वादीगण की पैतृक सम्पत्ति है जो संवत् 2062–64 की राजस्व जमाबन्दी में हमारे मौरूस गोदा पिता रूपा कालबेलिया के नाम पर दर्ज थी तथा गोदाजी के निधनोपरान्त उक्त कृषि भूमियां विरासत से पुत्र प्यारा, दुदा, नंगा एवं कसनी (पत्नी) के नाम समान हिस्से से अंकित हुई और कसनी के स्वर्गवास पश्चात् उसके हिस्से की जमीन भी विरासत से पुनः प्यारा, दुदा, नंगा के नाम पर राजस्व रेकर्ड में अंकित हुई हैं। हम वादीगण के मौरूस गोदा जी के निधनोपरान्त प्रतिवादी सं. 1, 5, 6 के नाम पर दर्ज होने के पश्चात् प्रतिवादी सं. 1, 5, 6 ने परिवार में किसी प्रकार से रूपयो की जरूरत नहीं होने के उपरान्त भी उक्त वर्णित सम्पूर्ण कृषि भूमि को पूर्व खातेदारान को नुमाईशी विक्रय पत्र के जरिये बेच दी और पूर्व खातेदारान ने राजस्व अधिकारीयों से सांठ गांठ कर उक्त भूमि को नुमाईशी विक्रय के आधार से अपने नाम पर दर्ज करा पुनः उक्त सम्पूर्ण भूमि को प्रतिवादी सं. 2 से 4 को नुमाईशी विक्रय पत्र के द्वारा विक्रय कर दी और प्रतिवादी सं. 2 से 4 ने राजस्व अधिकारीयों से सांठ गांठ कर उक्त भूमि को नुमाईशी विक्रय के आधार से जरिए नामान्तरकरण संख्या 337 दिनांक 20.07.2013 के द्वारा अपने नाम एन्ट्री करा दी जो निरन्तर चली आ रही

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

है। जबकि मौके पर हम वादीगण हमारे हक व हिस्सेनुसार भूमि पर काबिज हो काश्त कर रहे है और प्रतिवादी सं. 1 जो हम वादीगण के पिता है उनको अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही था इसलिये प्रतिवादी सं. 1 द्वारा किया गया हस्तान्तरण हमारे मुकाबले स्वतः शुन्य एवं निष्प्रभावी है। उक्त वर्णित आराजीयात वादीगण की पैतृक सम्पति है और जिसमें हम वादीगण को जन्म से हक अधिकार प्राप्त हो चुके है और उक्त भूमियों में अपने हक हिस्सा की भूमियों में हम वादीगण काबिज हो उपयोग उपभोग कर रहे है। यह कि प्रतिवादी सं. 2 से 4 को पुनः बेच देने से उक्त भूमि वर्तमान में प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम पर दर्ज है और प्रतिवादी सं. 2 से 4 अपना नाम खाते में दर्ज होने से हम वादीगण को हमारी हिस्से कब्जे की पैतृक कृषि भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहा है जबकि प्रतिवादी सं. 2 से 4 को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नही है और न ही प्रतिवादी सं. 1 को उक्त भूमियों में अपने हिस्से से अधिक भूमि को विक्रय करने का कोई हक व अधिकार था। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा इस भूमि मुतलिक किया गया हस्तान्तरण हम वादीगण के हक व अधिकारों के मुकाबले बेअसर व शुन्य निष्प्रभावी है। प्रतिवादी सं. 2 से 4 ने वाद वर्णित आराजीयात पर नुमाईशी विक्रय पत्र में वर्णित अनुसार कब्जा भी प्राप्त नही हुआ है। इसलिये वाद वर्णित उक्त पैतृक कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज भूमि में हम वादीगण हमारे हिस्सानुसार भूमि की घोषणा करा राजस्व रेकर्ड में दर्ज कराने के अधिकारी है तथा हमारे हिस्से की भूमि का विधिक रूप से बंटवाड़ा कराया जाकर हमारे नाम पर स्वतन्त्र खातेदारी हक से दर्ज कराने के अधिकारी है। हम वादीगण का प्रथम दृष्टया सुदृढ मामला है। प्रतिवादी सं. 2 से 4 ने दिनांक 15.08.2013 को मौके पर आकर हम वादीगण को धमकी भी दी है कि वे हमारे कब्जे की जमीन पर कब्जा कर हमें बेदखल कर देगें तथा अन्य प्रतिवादी सं. 1. 5, 6 भी हमे हमारे कब्जे की भूमि से बेदखल करने की कोशिश कर रहे है। इसलिये हम वादीगण प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी कराने के अधिकारी है कि प्रतिवादी सं. 1 से 6 हम वादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी नही करे, अन्य को रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करे, उक्त कार्य न स्वयं करे, न अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट के मार्फत ही करावें। स्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रतिवादीगण को कोई क्षति या नुकसान होने वाला नहीं है। बल्कि स्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से वादीगण को भारी क्षति होगी और उसका मूल्याकंन रूपयों पैसो में किया जाना असंभव होगा। सुविधा संतुलन व अशोधनीय क्षति का बिन्दू भी वादीगण के पक्ष में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

2. यह कि हम वादीगण को प्रतिवादीगण के विरूद्ध वाद कारण दिनांक 15.08.2013 को उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादीगण सं. 1 से 6 ने हमारे कब्जे की भूमि से हमें बेदखल कर अनाधिकार से कब्जा करने की कोशिश की और समझाने पर भी नही माने तब उत्पन्न हुआ और उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

3. अंत में निवेदन किया की हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध निम्न आशय की डिक्री जारी फरमाई जावें कि हम वादीगण की पैतृक सम्पत्ति उक्त वर्णित भूमि में प्रतिवादी सं. 2 से 4 के नाम दर्ज भूमि में हम वादीगण को संयुक्त रूप से हिस्सानुसार भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जाकर इसी अनुसार हम वादीगण का नाम राजस्व रेकर्ड राजस्व रेकर्ड खेवट खतौनी जमाबंदी में अंकन कराया जावें तथा हम वादीगण के खातेदारी की भूमि का विधिक रूप से विभाजन कराया जाकर हमारी हिस्से की जमीन को पृथक रूप से राजस्व रेकर्ड में अंकन कराई जावे एवं लगान का अलग से बरफाल फरमाया जावे व नक्शे में पैमुद कराई जावें। हम वादीगण के पक्ष में एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाई जावें कि प्रतिवादी सं. 1 से 6 वाद पत्र की कलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात में हम वादीगण को हमारे हिस्से कब्जे की पैतृक कृषि भूमि का शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें, वादीगण को बेदखल नहीं करे, कब्जा नही करे, रहन बैह बक्षीस आदि द्वारा हस्तान्तरित नही करें, इसमें किसी प्रकार की दखलन्दाजी न स्वयं करे, न अपने नौकर चाकर एजेन्ट इत्यादि से ही करावें, राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। प्रतिवादी सं. 6 उक्त भूमि के सम्बन्ध में किसी प्रकार का दस्तावेज पंजीयन कराने हेतु प्रस्तुत करे तो ताफैसला वाद प्रतिवादी सं. 9 पंजीयन नही करे व प्रतिवादी सं. 7, 8 ताफैसला वाद राजस्व रिकार्ड की यथावत स्थिति बनाये रखें, किसी प्रकार का परिवर्तन नही करे।

4. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए। प्रतिवादी संख्या 1 से 9 को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या– 7 से 9 प्रकरण में आवश्यक औपचारिक पक्षकार होने से जबाब दावा पेश नहीं करना चाहा है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 को जवाब का पर्याप्त अवसर दिए जाने के पश्चात भी जवाब पेश नही करने से जवाब का अवसर बंद किया गया। प्रकरण में तनकीयात कायमी की आवश्यकता नही रहने से साक्ष्यवादी प्रारम्भ की गई। साक्ष्यवादी के तहत शपथ पत्र गवाह पी.डब्ल्यू 1 वादी संख्या 4 अन्दर पिता प्यारा, गवाह पी.डब्ल्यू 2 लक्ष्मी पत्नी प्यारा, गवाह पी.डब्ल्यू 3 रामा पिता प्यारा, गवाह पी.डब्ल्यू 4 भेरूलाल पिता प्यारा के शपथ पत्र प्रस्तुत किए गए। गवाह पी.डब्ल्यू 1 दस्तावेज जमाबन्दी नकल संवत 2066–69 असल प्रदर्श 1 व [illegible] पर छायाप्रति प्रदर्श 1 ए, जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

संवत 2062–65 नकल असल प्रदर्श 2 एवं छायाप्रति प्रदर्श 2 है। गवाह पी.डब्ल्यू 1, 2, 3, 4 से अधिवक्ता प्रतिवादीगण से जिरह सम्पन्न करवाई गई। अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्यप्रतिवादी गवाह प्रस्तुत नही करने से साक्ष्यप्रतिवादी बंद की गई।

5. अधिवक्ता उभय पक्षकारान की दावा बहस सुनी गई। अधिवक्ता वादीगण द्वारा दौराने बहस निवेदन किया की वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है। जिसे वादीगण के मौरूस को अपने हिस्से से ज्यादा विक्रय करने का कोई अधिकार नही था। वादीगण दस्तावेज एवं गवाहो के बयानो से वाद को साबित कराने में सफल रहे है। अंत में निवेदन किया की वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादीगण को हिस्सेनुसार खातेदार घोषित करते हुए बंटवाड़ा किया जावे। अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा खातेदार कमला पुत्री गणेशलाल से क्रय की थी। वादीगण के पिता द्वारा वादग्रस्त भूमि खातेदार कमला पुत्री गणेशलाल को विक्रय की थी। वादग्रस्त भूमि वादीगण की मौरूसी भूमि नही है तथा ना ही वादग्रस्त भूमि पर वादीगण का कब्जा है। वादीगण जब तक रजिस्टर्ड विक्रय पत्र सक्षम न्यायालय से निरस्त नही करवा लेते है तब तक राजस्व न्यायालय में वाद ही प्रस्तुत नही कर सकते है। अंत में निवेदन किया की वादीगण वाद को साबित कराने में असफल रहने के कारण वादीगण का वाद खारिज किया जावे।

1. हमनें विद्धवान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस को समायत किया, प्रकरण में वर्णित तथ्यों पर मनन् किया तथा प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया । वादपत्र के ध्यानपूर्वक अवलोकन से यह बात निर्विवादित रूप से स्पष्ट है कि वादीगण स्वयं अपने वाद पत्र की कलम संख्या 2 में उनके द्वारा दर्शाये गए सजरे में गोदा पिता रूपा को मूल पुरूष मानते है। इसके पूर्व का न तो कोई सजरा दिया गया है, न ही वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित मौरूसी सम्पत्ति है, इसका कोई भी वर्णन वादपत्र में किया गया है। इस कारण से वादग्रस्त आराजीयात मूल पुरूष गोदा जी की होने के कारण उनकी मृत्यु के पश्चात धारा 8 हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के अनुसार उनके पुत्रो में निहित हुई एवं वे ही प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है। इस प्रकरण में विवाद मात्र प्रतिवादी संख्या 1 श्री प्यारा के हिस्से की सम्पत्ति तक ही सीमित है न्यायिक दृष्टांत ए.आई.आर. 2016 देहली पेज नम्बर 120 के अवलोकन अनुसार वादी को अपने वाद में यह बताना आवश्यक है कि वादग्रस्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

सम्पत्ति मौरूसी किस प्रकार से है। इस न्यायिक दृष्टांत में यह दर्शाया गया है कि ''No averment in the plaint that grandfather of claimant inherited property(S) from his paternal ancestors prior to 1956 – properties in the hands of late grandfather cannot be HUF properties in his hands – It can be said that suit does not disclose cause of action and hence liable to be dismissed.'' उक्त न्यायिक दृष्टांत में माननीय न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया है कि किसी भी वाद में मात्र यह अंकित कर देना कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी सम्पत्ति है पर्याप्त नही है। वादीगण को अपने वादपत्र में बताना होगा कि वादग्रस्त आराजीयात किस प्रकार से मौरूसी सम्पत्ति है एवं मूल पुरूष की मृत्यु सन् 1956 ई. के पूर्व हुई है अथवा बाद में तथा सन् 1956 के पूर्व एच.यू.एफ. बनी थी अथवा नही। वादग्रस्त भूमि आज भी संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभाजित संपति है या नही ? साथ ही मूल पुरूष गोदा जी को संपति कैसे प्राप्त हुई। मूल पुरूष गोदा जी की मृत्यु कब हुई ? ऐसा कोई भी तथ्य वादी द्वारा वाद पत्र में अंकित नही किया गया है।

यहां निम्न न्यायिक दृष्टांतो का उल्लेख किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता जो इस प्रकार है :—

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5415/2011 उनवान ***Shyam Narayan Prasad vs Krishna Prasad*** में दिनांक 02.07.2018 को दिये गये निर्णय में पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार है:—

> *12. **It is settled that the property inherited by a male Hindu from his father, father's father or father's father's father is an ancestral property.** The essential feature of ancestral property, according to Mitakshara Law, is that the sons, grandsons, and great grandsons of the person who inherits it, acquire an interest and the rights attached to such property at the moment of their birth. The share which a coparcener obtains on partition of ancestral property is ancestral property as regards his male issue. After partition, the property in the hands of the son will continue to be the ancestral property and the natural or adopted son of that son will take interest in it and is entitled to it by survivorship.*
>
> *13. In C. Krishna Prasad [illegible] Bangalore, 1975 (1) SCC 160, this Court was considering a similar question. In the said case, C. Krishna Prasad, the appellant along with his father Krishnaswami Naidu and brother C. Krishna Kumar*

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

formed Hindu undivided family up to October 30, 1958, when there was a partition between Krishnaswami Naidu and his two sons. A question arose as to whether an unmarried male Hindu on partition of a joint Hindu family can be assessed in the status of undivided family even though no other person besides him is a member of the family. It was held that the share which a coparcener obtains on partition is ancestral property as regards male issue. It was held as under:

> *"The share which a coparcener obtains on partition of ancestral property is ancestral property as regards his male issue. They take an interest in it by birth, whether they are in existence at the time of partition or are born subsequently. Such share, however, is ancestral property only as regards his male issue. As regards other relations, it is separate property, and if the coparcener dies without leaving male issue, it passes to his heirs by succession (see p. 272 of Mulla's Principles of Hindu Law, 14th Ed.). A person who for the time being is the sole surviving coparcener is entitled to dispose of the coparcenary property as if it were his separate property. He may sell or mortgage the property without legal necessity or he may make a gift of it. If a son is subsequently born to him or adopted by him, the alienation, whether it is by way of sale, mortgage or gift, will nevertheless stand, for a son cannot object to alienations made by his father before he was born or begotten".*
> *(emphasis supplied)*

14. In M. Yogendra and Ors. v. Leelamma N. and Ors. 2009 (15) SCC 184, it was held as under:

> *"It is now well settled in view of several decisions of this Court that the property in the hands of a sole coparcener allotted to him in partition shall be his separate property for the same shall revive only when a son is born to him. It is one thing to say that the property remains a coparcenary property but it is another thing to say that it revives. The distinction between the two is absolutely clear and unambiguous. In the case of former any sale or alienation which has been done by the sole survivor coparcener shall be valid whereas in the case of a coparcener, alienation made by the karta would be invalid." (emphasis supplied)*

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

15. In Rohit Chauhan v. Surinder Singh and Ors. 2013 (9) SCC 419, a contention was raised by the defendant No. 1 that after partition of the joint Hindu family property, the land allotted to the share of defendant No. 2 became his self acquired property and he was competent to transfer the property in the manner he desired. It was held that the property which defendant No. 2 got by virtue of partition decree amongst his father and brothers was although separate property qua other relations but it attained the characteristics of coparcenary property the moment a son was born to defendant No. 2. It was held thus:

> *"A person, who for the time being is the sole surviving coparcener as in the present case Gulab Singh was, before the birth of the plaintiff, was entitled to dispose of the coparcenary property as if it were his separate property. Gulab Singh, till the birth of plaintiff Rohit Chauhan, was competent to sell, mortgage and deal with the property as his property in the manner he liked. Had he done so before the birth of plaintiff, Rohit Chauhan, he was not competent to object to the alienation made by his father before he was born or begotten. But, in the present case, it is an admitted position that the property which Defendant 2 got on partition was an ancestral property and till the birth of the plaintiff he was the sole surviving coparcener but the moment plaintiff was born, he got a share in the father's property and became a coparcener. As observed earlier, in view of the settled legal position, the property in the hands of Defendant 2 allotted to him in partition was a separate property till the birth of the plaintiff and, therefore, after his birth Defendant 2 could have alienated the property only as karta for legal necessity. It is nobody's case that Defendant 2 executed the sale deeds and release deed as karta for any legal necessity. Hence, the sale deeds and the release deed executed by Gulab Singh to the extent of entire coparcenary property are illegal, null and void. However, in respect of the property which would have fallen in the share of Gulab Singh at the time of execution of sale deeds and release deed, the parties can work out their remedies in appropriate proceedings." (emphasis supplied)*

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Purohit
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 5415/2011 बउनवान ***Shyam Narayan Prasad vs Krishna Prasad*** में दिनांक 02.07.2018 को दिये गये निर्णय में पैतृक संपति की संकल्पना/अवधारणा के संबंध में विवेचना की है। जिसके प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः–

> *12. **It is settled that the property inherited by a male Hindu from his father, father's father or father's father's father is an ancestral property.** The essential feature of ancestral property, according to Mitakshara Law, is that the sons, grandsons, and great grandsons of the person who inherits it, acquire an interest and the rights attached to such property at the moment of their birth. The share which a coparcener obtains on partition of ancestral property is ancestral property as regards his male issue. After partition, the property in the hands of the son will continue to be the ancestral property and the natural or adopted son of that son will take interest in it and is entitled to it by survivorship.*

2. उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तो अनुसार वादीगण द्वारा प्रस्तुत हस्तगत वादपत्र में भी ऐसे कोई तथ्य वर्णित नही किये गये है जिससे यह स्पष्ट रूप से प्रकट होता हो कि वादग्रस्त आराजियात किस प्रकार से संयुक्त हिन्दु परिवार की अविभक्त मौरूसी सम्पत्ति है। वादीगण स्वयं द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबंदी संवत 2062–64 के खाता संख्या 22 अनुसार वादग्रस्त भूमि गोदा पिता रूपा कालबेलिया के नाम दर्ज थी। जो हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत इसके प्रथम श्रेणी के वारिसान प्यारा, दुदा, नंगा, कसनी के नाम दर्ज हुई। कसनी पिता गोदा के निधन के पश्चात प्यारा, दुदा, नंगा के नाम दर्ज हुई। खातेदार प्यारा, दुदा, नंगा द्वारा उक्त वादग्रस्त भूमि का विक्रय कमला पुत्री गणेशलाल को विक्रय कर दी। खातेदार कमला पुत्री गणेशलाल द्वारा कैलाशचन्द्र पिता किशनलाल सालवी को विक्रय की गई। तत्पश्चात कैलाशचन्द्र पिता किशनलाल सालवी ने प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को विक्रय कर दी।

न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता के नाम दर्ज थी। वादीगण के पिता के द्वारा उक्त भूमि का विक्रय परिवार के पालन पोषण एवं कर्ज चुकाने के [illegible]त भूमि को विक्रय किया गया। फर्दर–फर्दर विक्रय होती हुई वादग्रस्त [illegible] प्रतिवादी संख्या 2 से 4 के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

दर्ज हुई। वादग्रस्त भूमि का विक्रय किया गया तब वादी एवं वादी के पिता एक ही परिवार के हिस्से है। इससे स्पष्ट है कि भूमि के विक्रय के प्रतिफल से वादी का भी पालन पोषण हुआ है। परिवार के पालन पोषण के लिये रिकोर्डेड खातेदार को भूमि विक्रय करने का पूर्ण अधिकार है। साथ ही क्रेतागणो द्वारा भूमि रिकोर्डेड खातेदार से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से क्रय की गई। जिसको निरस्त कराने बाबत वादीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया है या नही इस संबंध में कोई तथ्य प्रस्तुत नही किया। जिससे जाहीर होता है कि वादीगण द्वारा केवल मात्र क्रेतागण को नाजायज परेशान करने की नियत से वाद प्रस्तुत किया गया है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वादपत्र के बरूऐ ही वादीगण का वाद कोई वाद हेतुक प्रकट नही करता है। वादीगण का वाद वादीगण की प्लीडिंग्स के अनुसार भी हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत विधि वर्जित है। उपर्युक्त न्यायायिक दृष्टांत एवं हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के तहत वादीगण का वाद खारिज योग्य पाया जाता है।

—: : आदेश : :—

परिणामस्वरूप वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88—53—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनांक 11.06.2025 को लिखवाया जाकर खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्धमें इब्तदाई

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर मावली
बईजलास रमेश सीरवी पुनाडिया, आर.ए.एस.

उनवान्

1. भेरूलाल पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
2. रूपा पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. काली पुत्री प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. अन्दर पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु 16 वर्ष, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. शिवा पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु 10 वर्ष, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. गोविन्द पिता प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु 8 वर्ष, नाबालिग बविलायत माता श्रीमती लक्ष्मी पत्नी प्यारा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...........वादीगण

बनाम्

1. प्यारा पिता गोदा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली. जिला उदयपुर (राज०)
2. शांतिलाल पिता भगा जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी पालवासकला तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
3. लहरीलाल पिता भगा जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
4. रूपलाल पिता ठाकरू जी जाति मेघवाल, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
5. दुदा पिता गोदा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
6. नंगा पिता गोदा जी जाति कालबेलिया, आयु वयस्क, निवासी पालवासकलां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार मावली, जिला उदयपुर (राज०)
8. पटवारी, पटवार हल्का विरधोलियां, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज०)
9. उपपंजीयक अधिकारी, मावली, तह०मावली, जिला उदयपुर (राज०)

...............प्रतिवादीगण

<u>वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम</u>

<u>मुकदमा न0 : 228/13 (वाद) GCMS No. – 2013/00397</u>

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल [illegible] रूबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाकर डिक्री दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88–53–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का मेंटेबल नही होने से अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी हो।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 11.06.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:21:28 IST
Reason: SelfAttested